अध्याय 2 : लेखापरीक्षा निष्कर्ष और सिफारिशें

सीएसटी के प्रतिदाय पर कर खर्च को छोड़े गए राजस्व के विवरण में शामिल नहीं किया गया था। विलंबित भुगतानों पर ब्याज के लिए लेखों के कोई पृथक शीर्ष नहीं थे।

2.1 एसटीपी/ईएचटीपीज़ पर कर खर्च डीईआईटीवाई के अंतर्गत मुख्य शीर्ष '3453-विदेश व्यापार एवं निर्यात संवर्धन; 800 अन्य व्यय; 18 विभागीय रूप से किए गए व्यय; 00.50 अन्य प्रभार' के अधीन किए गए, जबकि ईओयू को प्रतिपूर्ति के लिए व्यय को डीओसी के मुख्य शीर्ष -3453- विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन -194- निर्यात संवर्धन और बाजार विकास (लघु शीर्ष) के लिए सहायता-03-निर्यात संवर्धन और बाजार विकास संगठन हेतु सहायता -00-33 सहायता राशि से पूरा किया गया। वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 के दौरान बज़ट आवंटन और डीईआईटीवाई और डीओसी द्वारा व्यय नीचे दिए गए हैं:

तालिका 5 मुख्य शीर्ष 3453 के अंतर्गत बजट आबंटन

₹ करोड़

वर्ष		ब.अ.*	स.अ.*	वास्तविक**	विनियोजन लेखों के अनुसार वास्तविक	विभागानुसार बचत/अधिकता
वि.व. 08	ईओयू/सेज़	581.10	581.10	575.36	#	5.74 (ब)
	डीईआईटीवाई	3.10	13.10	13.10	13.10	शून्य
वि.व. 09	ईओयू/सेज़	551.63	551.63	525.76	#	25.87 (ब)
	डीईआईटीवाई	3.10	2.95	2.95	शून्य	0.15 (ब)
वि.व. 10	ईओयू/सेज़	312.78	312.78	281.52	#	31.26 (ब)
	डीईआईटीवाई	3.10	शून्य	शून्य	0.36	--
वि.व. 11	ईओयू/सेज़	316.51	316.51	310.86	#	5.65 (ब)
	डीईआईटीवाई	3.10	63.70	51.61	63.64	--

* वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 के लिए केन्द्र सरकार के व्यय बजट के अनुसार

** डीओसी और डीईआईटीवाई द्वारा प्रस्तुत आंकडे, डीओसी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ो में डीबीके भुगतान के व्यय भी शामिल हैं।

2.2 डीओसी और डीईआईटीवाईद्वारा बचत के कारण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। विभाग द्वारा सूचित वास्तविक व्यय और सरकार के विनियोग लेखा में सूचित व्यय में अन्तर था। डीओसी और डीईआईटीवाई दोनों का वास्तविक खर्च कोई प्रवृति उजागर नहीं करता क्योंकि डीओसी द्वारा किया गया कर व्यय मुख्य शीर्ष 3453 के अंतर्गत किए गए कुल खर्च के अंदर छिपा है। बजट प्रस्तावों के पूर्व बजट विश्लेषणों के माध्यम से भिन्नताओं को दर्शाने के लिए कोई उपयुक्त व्याख्या नहीं दी गई।

2.3 एफआरबीएम की अपेक्षा है कि सार्वजनिक हित में राजकोषीय कार्य और अनुदानों हेतु मांग की वार्षिक वित्तीय विवरण की तैयारी में कम से कम गोपनीयता रखने के लिए और अनुदानों के लिए मांग की पूर्ण स्पष्टता को सुनिश्चित करने हेतु

सही उपाय केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जाने चाहिए। सरकार ने प्राप्ति बजट 2006-07 के बाद केन्द्रीय कर प्रणाली शुल्क के अंतर्गत मुख्य कर व्यय के आंकलन दर्शाना शुरू कर दिया। केन्द्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत छोड़े गए राजस्व का विवरण संघ सरकार के प्राप्ति बजट के विवरण में केन्द्रीय कर प्रणाली को नहीं दर्शाता। वित्तीय वर्ष 08 से वित्तीय वर्ष 11 की चार वर्ष की अवधि के दौरान, डीओसी और डीईआईटीवाई ने इस योजना के अंतर्गत आपूर्तिकर्त्ताओं को ₹ 1,049 करोड़ की प्रतिपूर्ति की। संघ सरकार के प्राप्ति बजट के विवरण में केन्द्रीय कर प्रणाली के अंतर्गत छोड़े गए राजस्व के विवरण सीएसटी छूट नहीं दर्शाते।

2.4 निर्यात योजनाओं के उद्देश्यों में से एक आयात प्रतिस्थापन में मदद करना है, तथापि संघ सरकार के सीएसटी पर व्यय के विश्लेषण की आयातों पर लगाई गई विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी)[23] की तुलना से पता चला कि सीएसटी वित्तीय वर्ष 01 में ₹ 8,371 करोड़ से वित्तीय वर्ष 11 में ₹ 19,230 करोड़ तक 9.87 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है, इसी प्रकार, एसएडी संग्रह में भी वित्तीय वर्ष 01 में ₹ 2,442 करोड़ से वित्तीय वर्ष 11 में 58.99 प्रतिशत की वार्षिक दर से जैसा परिशिष्ट डी में दर्शाया गया है ₹ 18,288 करोड़ की वृद्धि हुई। एसएडी से सीएसटी का दशकीय औसत अनुपात में वित्तीय वर्ष 02 में 28.62 प्रतिशत से वित्तीय वर्ष 11 में 95.10 प्रतिशत तक की उच्च वृद्धि की प्रवृति के साथ 0.20 प्रतिशत के बीच रहा।

2.5 लेखापरीक्षा में पाया गया कि दावेदारों को सीएसटी की प्रतिपूर्ति पर लाभ के देरी से किए गए भुगतान के लिए डीओसी द्वारा दिया गया ब्याज मुख्य शीर्ष -3453- विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन से दिया गया था। डीओसी के बजट अनुदान के तहत ब्याज के लिए कोई लेखा शीर्ष या ब्याज भुगतान के अंतर्गत शीर्ष के रूप में संचालित नहीं किया जा रहा था। इसी प्रकार, डीईआईटीवाईभी ब्याज भुगतान के अंतर्गत पृथक उपशीर्ष का संचालन नहीं कर रहा था।

डीईआईटीवाईऔर डीओसी की आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को अधिक सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

कमजोर आंतरिक नियंत्रण कार्यविधियां और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

2.6 एचबीपी खंड II के परिशिष्ट 14-1-1 के पैराग्राफ 3 (xi) के अनुसार सीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए सभी दावों की पश्च लेखापरीक्षा होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, डीसी-सेज़/निदेशक, एसटीपीआई के कार्यालयों को सीएसटी प्रतिदाय के उद्देश्य के लिए दावा प्राप्ति रजिस्टर, चैक भुगतान रजिस्टर, मासिक तकनीकी रिपोर्टें और पश्च लेखापरीक्षा रजिस्टर आदि बनाने चाहिएँ।

[23] बिक्री कर, वैट, स्थानीय कर अन्य प्रतिभार से सभी निर्यातित माल पर विशिष्ट अतिरिक्त शुल्क उदग्राहय है।

2.7 2007-08 से 2010-11 की अवधि के अभिलेखों की जांच पर, हमने पाया कि किसी भी कार्यालय द्वारा, जहां समीक्षा की गई थी, आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई/पश्च लेखापरीक्षा इकाई की स्थापना नहीं की गई है। सीएसटी प्रतिदाय के मामलों में औचक जांच या पश्च लेखापरीक्षा जांच केवल कोचीन में की गई थी जहां 2006-07 तक यह पूरी की जा चुकी है और 2007-08 की अवधि के लिए प्रक्रियाधीन है। सीएसटी प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया का किसी भी स्थान पर कम्प्यूटरीकरण नहीं किया गया है।

विभाग दावेदारों द्वारा की गई घोषणाओं पर निर्भर करता है और वहां दावों की सत्यता की जांच करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। *अपने उत्तर में डीईआईटीवाईने कहा (फरवरी 2013) कि एसटीपीआई को दावा प्राप्ति रजिस्टर, चैक भुगतान रजिस्टर, मासिक तकनीकी रिपोर्ट और एक आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई की स्थापना तथा औचक जांच के लिए एफटीपी का पालन करने की सलाह दी जा रही है।*

सिफारिश 1: डीईआईटीवाई और डीओसी की आंतरिक नियंत्रण कार्य विधियों तथा आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को इसके आरएफडी उद्देश्यों के अनुसार कुशल बजटिंग, लेखांकन, भुगतान और आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता है। बजट अनुमान, निधि आवंटन और मांग के उपयोग की गहन निगरानी की आवश्यकता है।

प्रतिपूर्ति प्रक्रिया में कुछ कमियां थी।

डीओसी द्वारा सीएसटी की प्रतिपूर्ति में विलम्ब के लिए ब्याज का भुगतान

2.8 एफटीपी के पैराग्राफ 6.11 (सी) (i) में प्रावधान है कि प्रतिपूर्ति/प्रतिदाय के संबंध में सीएसटी के प्रतिदाय में विलम्ब के कारण छः प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज देय था जो 1 अप्रैल 2007 तक या उसके बाद देय हो गया था लेकिन जिसे प्राधिकारी द्वारा भुगतान के लिए उनके अन्तिम अनुमोदन के 30 दिनों के अन्दर निपटाया नहीं गया था। सीएसटी प्रतिपूर्ति की प्राप्ति के 90 दिनों के अन्दर ब्याज के लिए दावे दाखिल किए जाने थे। यह प्रावधान दिनांक 6 अगस्त, 2008 के पीएन द्वारा संशोधित किया गया था, जिससे 30 दिन की अवधि की गणना पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तिथि से होगी एवं सीएसटी दावे के विलम्बित भुगतान के कारण ब्याज, यदि कोई है, तो इसके लिए आवेदन किये बिना ही, मुख्य दावे के साथ भुगतान किया जाना है।

2.9 सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदनों का निपटान करते समय, यह जाँच करने के बाद कि आपूर्ति किया गया माल इकाईओं द्वारा माल के उत्पादन के लिए आवश्यक था, एसटीपीआई मुख्यालय सीएसटी दावों के साथ (केन्द्र-वार) लाभार्थियों की समेकित सूची एसटीपीआई को विभिन्न एसटीपीआई केन्द्रों द्वारा एसटीपी/ईएचटीपी इकाईयों को सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए जो बजट आबंटित है, से निधि जारी करने के लिए डीईआईटीवाई को प्रस्तुत करता है। डीईआईटीवाई के अनुसार, एसटीपीआई से सभी प्रतिपूर्ति दावों की पहले परीक्षा डिवीजन एवं उसके बाद वित्त डिवीजन द्वारा दो स्तरीय जाँच किए जाने की आशा की जाती है। जबकि, डीओसी में, सीसीए/पीएओ डीसी-सेज़ों द्वारा किये गए व्यय की निगरानी करता है। संबंधित डीडीओज भी सीपीएओ, डीओसी को दर्ज व्यय की सूचना भेजते हैं।

2.10 कोचीन, मुम्बई, चेन्नै, कोलकाता एवं नोयडा में स्थित सेज़ों एवं गाँधीनगर, नोयडा, कोलकाता तथा बैंगलोर में स्थित एसटीपीज के अभिलेखों की जाँच के दौरान सीएसटी के प्रतिदाय के कुल 15,849 दावों की मंजूरी दी गई। समीक्षाकृत 6314 मामलों में से 2,409 (37 प्रतिशत) मामलों में विलम्ब देखा गया। डीसी-सेज द्वारा 542 मामलों में ₹ 29.92 लाख के ब्याज का भुगतान किया गया एवं शेष 1178 मामलों (890 मामले सेज़ों में एवं 288 मामले एसटीपीआई में) में, ₹ 8.02 करोड़ (₹ 0.60 लाख एवं ₹ 7.44 करोड़ सेज़ों एवं एसटीपीआईज़ के संबंध में क्रमशः) का ब्याज देय था, इसका ना तो दावेदारों द्वारा दावा किया गया था और न ही विभाग द्वारा स्वयं से भुगतान किया गया था। यह विलम्ब मुख्यतः एसटीपीआई मुख्यालय से निधियों के विलम्बित निर्गमन के कारण है।

2.11 यद्यपि आवेदनों के अनुबंधित समय में निपटान के लिए एचबीपी खंड । में प्रावधान विद्यमान है, लेखापरीक्षा ने सीएसटी दावों के प्रतिदाय का निपटान करने में अपर्याप्त विलम्ब देखा जिससे विलम्बित प्रतिपूर्ति के लिए ब्याज का भुगतान किया गया। इस प्रकार, ब्याज के भुगतान को कम करने के लिए सीएसटी के प्रतिदाय की समूची प्रक्रिया को एक सार करने की आवश्यकता है।

2.12 *डीओसी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2013) कि समय सीमा एफटीपी के अन्तर्गत निर्धारित की गई है और इसकी सख्ती से अनुपालना की आवश्यकता है। डीईआईटीवाई ने टिप्पणी को स्वीकार करते हुए कहा (फरवरी 2013) कि समयसीमा का पालन महत्त्वपूर्ण है। एसटीपीआई को समय-समय पर दावों की जाँच एवं सीएसटी प्रतिपूर्ति के लिए निधि की आवश्यकता को जानने के लिए केन्द्रों के साथ समन्वय की आवश्यकता है। भुगतानों को समय पर करने के लिए डीजीएफटी द्वारा मध्यवर्ती समय सीमाएँ निर्धारित की जा सकती हैं।*

सिफारिश 2: डीओसी तथा डीईआईटीवाई को विलम्बों पर किसी ब्याज के भुगतान से बचने के लिए काउंटर सहायता के साथ-साथ मध्यवर्ती उपायों के लिए समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए।

प्रक्रियागत कमी के कारण सीएसटी का गलत प्रतिदाय हुआ।

आयातित माल की आपूर्ति पर सीएसटी का प्रतिदाय

2.13 एफटीपी के पैराग्राफ 6.11(सी)(i) के अनुसार, ईओयूज़/ईएचटीपीज़/एसटीपीज़ भारत में निर्मित माल पर सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार हैं। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि ईओयू/ईएचटीपीज़/एसटीपीज़ के बॉन्डेड परिसर में लाए गए माल के लिए "सी " फार्म के प्रति सीएसटी की प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए, किए गए आवेदन पर यह सूचना नहीं होती कि वह डीटीए में निर्मित था या आयातित, माल के उद्भव के देश, टैरिफ संख्या इत्यादि और बीजकों की प्रतियाँ आवेदन के साथ अनिवार्य नहीं हैं एवं ना ही विभाग के पास दावे की उपयुक्तता की जाँच के लिए कोई तन्त्र है।

2.14 डीसी-सेज, कोचीन, मुम्बई, फालटा, गाँधीधाम एवं निदेशक, एसटीपीआई, मुम्बई एवं कोलकाता के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 104 मामलों में, डीलरों से खरीदे गए आयातित माल पर भुगतान की गई सीएसटी की भी प्रतिपूर्ति की गई थी।

इस संबंध में किया गया अनियमित प्रतिदाय ₹ 62.29 लाख (₹ 34.69 सेज़ों द्वारा एवं ₹ 27.60 लाख एसटीपीआईज़ द्वारा) तक ।

2.15 जब लेखापरीक्षा ने इंगित किया, डीसी-केएएसईजेड, गांधीधाम ने निष्कर्ष को स्वीकार किया और उत्तर दिया (जून 2012) कि संबंधित ईकाई से वसूली की जाएगी। दूसरों से उत्तर प्रतीक्षित हैं। डीईआईटीवाई ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2013) कि एसटीपीआई द्वारा आगामी कार्रवाई के लिए माल के मूल की मांग की गई है।

अनुचित प्राधिकारी द्वारा सीएसटी की स्वीकृति

2.16 एचबीपी के परिशिष्ट 14-1-1 के पैराग्राफ 3.1 के साथ पठित एफटीपी के पैराग्राफ 6.11(सी) (i) के अनुसार, ईओयूज भारत में निर्मित माल पर सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होगी और इकाई सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए अपना दावा निर्धारित प्रपत्र में संबंधित डीसी-सेज या ईएचटीपी/एसटीपी के नामित अधिकारी को प्रस्तुत करेंगी।

2.17 लेखापरीक्षा में देखा गया कि डीसी-एमईपीजेड, चेन्नै ने एक ईओयू, बैंगलुरू को सीएसटी की प्रतिपूर्ति के प्रति ₹ 0.30 करोड़ की प्रतिपूर्ति की। चूँकि ईओयू डीसी, सेज, कोचीन के प्रशासनिक नियंत्रक के अन्तर्गत बैंगलुरू में स्थित है और तदनुसार, डीसी, सेज, कोचीन इकाई द्वारा की गई खरीद के लिए सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए उपयुक्त अधिकारी है। यद्यपि, दावे को संस्वीकृत करते समय, डीसी सेज, कोचीन, द्वारा इसकी सत्यता की जाँच के लिए कोई प्रयास नहीं किये गए कि कही वैसा ही दावा उनको भी तो प्रस्तुत नहीं किया गया था।

घरेलू निकासी के लिए माल पर सीएसटी का प्रतिदाय

2.18 एफटीपी के पैराग्राफ 6.11(सी) के अनुसार, एसटीपी/ईएचटीपी इकाईयाँ माल के उत्पादन के लिए डीटीए से की गई खरीद पर सीएसटी के पूर्ण प्रतिदाय की हकदार हैं। एचबीपी के परिशिष्ट 14-1-1 के खण्ड 2(ए) की शर्तों में, प्रतिपूर्ति इस शर्त के साथ है कि डीटीए से की गई आपूर्तियाँ ईओयू द्वारा निर्यात के लिए बनी वस्तुओं के उत्पादन के लिए और/अथवा निर्यात उत्पादों के लिए प्रयोग की जानी चाहिए। यद्यपि, निर्यात का प्रावधान संशोधित तिथि 16 दिसम्बर 2008 तक हटा दिया गया है। अतः 16 सितम्बर 2008 से पहले, सीएसटी की प्रतिपूर्ति निर्यात के लिए माल के उत्पादन में प्रयुक्त माल पर भुगतान की गई सीएसटी तक ही सीमित थीं।

2.19 डीसी-सेज़ों, फालटा, कान्दला, मुम्बई, कोच्चि, चेन्नै एवं एसटीपीआईज, नोयडा एवं बैंगलौर के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि उन मामलों की आपूर्तियों में सीएसटी की प्रतिपूर्ति की गई थी जो या तो घरेलू बिक्री के साथ-साथ निर्यात के लिए बने माल के निर्माण में प्रयुक्त की गई थी अथवा निर्यातित माल के निर्माण के लिए प्रासंगिक नहीं थी। पाये गये मामले नीचे दर्शाये गए हैं:

क. सितम्बर 2008 से पहले, डीसी-सेज, कान्दला द्वारा संस्वीकृत किये गए सीएसटी प्रतिपूर्ति के 56 मामलों में माल की पूरी खरीद पर सीएसटी प्रतिपूर्ति दी गई थी जोकि निर्यात के लिए बने माल के उत्पादन के साथ-साथ डीटीए में निकासी के लिए प्रयुक्त हुआ था। अतः डीटीए निकासी में प्रयुक्त माल पर ₹

6.78 करोड़ की सीएसटी प्रतिपूर्ति अनियमित थी। *इंगित किये जाने पर विभाग ने कहा (जून 2012) कि मामला पहले से ही उपयुक्त स्पष्टीकरण के लिए डीओसी को भेजा जा चुका है।*

ख. डीसी-एफसेज़ के क्षेत्राधिकार के तहत आने वाली एक ईओयू, ने अपने विनिर्मित माल के निर्यात के अलावा नियमित डीटीए बिक्रियाँ की थी। उन आपूर्तियों में से जिन पर जून 2008 तक सीएसटी प्रतिपूर्ति का दावा किया गया था, जबकि, प्रतिपूर्ति आनुपातिक रूप से निर्यात में उनके प्रयोग तक सीमित नहीं थी। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 24.41 लाख के अधिक सीएसटी की प्रतिपूर्ति हुई।

ग. एसटीपीआई, बैंगलोर में 2003-04 से 2008-09 के बीच 23 मामलों में, प्रतिपूर्तियाँ सीएसटी निर्यात एवं डीटीए बिक्रियों दोनों को ध्यान में रख कर की गई थीं। बिक्री उत्पादों में प्रयुक्त माल पर सीएसटी का आनुपात ₹ 3.11 करोड़ तक बनता था, जिसकी वसूली की जानी चाहिए ।

घ. डीसा-एसईईपीजेड, मुम्बई के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 63 ईओयूज़ ने 2007-08 एवं 2008-09 के दौरान डीटीए बिक्रियों के संबंध में तैयार माल के उत्पादन में प्रयोग की गई सामग्री के लिए ₹ 18.70 करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति की गई थी। इसी प्रकार, डीसी-सीसेज़ और एसटीपीआई चेन्नै द्वारा 73 ईओयूज (240 दावे) के लिए डीटीए बिक्रियों हेतु माल की उत्पादकता के लिए प्रयुक्त ₹ 6.23 करोड़ की (₹ 3.79 करोड़ एसटीपीआईज़ एवं ₹ 2.44 करोड़ सेज़ों द्वारा) सामग्री की प्रतिपूर्ति की गई।

आवेदनों के विलम्बित प्रस्तुतीकरण पर डीईआईटीवाई/डीओसी द्वारा लेट कट लागू करना

2.20 एचबीपी के परिशिष्ट 14-1-1 के अनुसार, प्रतिपूर्ति का दावा करने वाला आवेदन तिमाही, जिसमें दावा उत्पन्न हुआ है, के पूरा होने की तिथि से छः माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जब भी आवेदन ऐसे आवेदन के प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद प्राप्त होता है, इस पर एचबीपी के पैराग्राफ 9.3 में निर्धारित दर पर लेट कट लगाने के बाद विचार किया जाए।

2.21 सेज, कोचीन, मुम्बई, फाल्टा, नोएडा, कान्दला एवं निदेशक एसटीपीआई, भुवनेश्वर, बैंगलौर एवं नोयडा की सीएसटी दावा फाईलों की समीक्षा करने पर लेखापरीक्षा ने देखा कि 132 दावों में आवेदन के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब था, परन्तु प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन को स्वीकार करते समय लेट कट फीस या तो लगाई ही नहीं गई थी अथवा गलत दर लागू की गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.20 करोड़ (₹ 25 लाख सेजज द्वारा एवं ₹ 95 लाख एसटीपीआईज द्वारा) का अधिक भुगतान हुआ था। इसी प्रकार, डीसा-एफसेज ने 14 मामलों में, समय बाधित दावों के प्रति ₹ 5.46 लाख की राशि के सीएसटी की प्रतिपूर्ति की थी। *डीईआईटीवाई ने निष्कर्ष को स्वीकार किया*

एवं कहा (फरवरी 2013) कि इन एसटीपीआईज को एसटीपीआई इकाईयों से राशि की वसूली के निर्देश दिए गए हैं।

ईओयू को सीएसटी की अनियमित प्रतिपूर्ति

2.22 एचबीपी के परिशिष्ट 14-1-1 के अनुसार, डीटीए से ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी इकाईयों को की गई आपूर्तियाँ इकाईयों द्वारा उन माल/सेवाओं के उत्पादन के लिए प्रयोग की जानी चाहिए जिनपर वास्तविक रूप से सीएसटी का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह निर्धारित किया गया है कि डीसी अथवा ईएचटीपी/एसटीपी का नामित अधिकारी अन्य बातों के साथ यह भी देखे कि खरीद इकाईयों द्वारा माल/सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदन में (अनुबंध । की क्रम सं. 3(ए) एवं (बी)) यह पुष्टि भी होनी आवश्यक है कि क्या इकाई के पास सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन की तिथि को वैध अनुमोदन पत्र है।

2.23 कोयम्बटूर में डीसी-सेज की क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक ईओयू को मई 2008 के दौरान ईओयू की योजना से "इन प्रिंसिपल एक्जिट" प्रदान की गई थी। ग्रीन कार्ड, जोकि इकाई द्वारा माल के आयात एवं खरीद को मान्य करता है, भी जनवरी 2009 तक ही वैध था। हाँलाकि ईकाई को गलती से जनवरी 2009 के बाद की गई खरीद पर ₹ 0.22 करोड़ के राशि की सीएसटी की प्रतिपूर्ति प्रदान की गई, जिसकी ब्याज सहित वसूली आवश्यक है।

2.24 डीओसी ने अपने उत्तर में कहा (फरवरी 2013) कि जो संभवतः आयातित माल पर सीएसटी के अनियमित एवं प्रतिदाय को अनुमति देती है, ऐसी किसी भी कमी को दूर करने के लिए प्रक्रिया की अधिक से अधिक विस्तार से जाँच की जाएगी ।

सिफारिश 3: डीओसी और डीईआईटीवाई द्वारा प्रणाली के साथ -साथ आयातित माल पर सीएसटी के गलत प्रतिदायों को रोकने की पद्धति में अपर्याप्तता को समाप्त करने की आवश्यकता है।

सीए द्वारा गलत प्रमाणीकरण के बाद डीटीए द्वारा की गई आपूर्तियों पर सीएसटी की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी गई।

ईओयू/सेज इकाईयों से खरीदे गए माल पर सीएसटी की प्रतिपूर्ति

2.25 एचबीपी के परिशिष्ट 14-1-1 के पैराग्राफ 2 के साथ पठित एफटीपी के पैराग्राफ 6.11(सी) (i) के अनुसार, ईओयूज भारत में निर्मित माल पर सीएसटी की प्रतिपूर्ति के हकदार होगें। इसके अतिरिक्त, ईओयू इकाईयाँ योजना के अन्तर्गत माल एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए, डीटीए से की गई खरीद पर उनके द्वारा भुगतान की गई सीएसटी की पूरी प्रतिपूर्ति के हकदार होगें।

2.26 डीसी-सेजों, चेन्नै, गाँधीधाम, मुम्बई एवं कोचीन द्वारा सीएसटी की प्रतिपूर्ति से संबंधित मामलों की फाइलों की जाँच से पता चला कि दूसरी ईओयूज अथवा सेज़ इकाई से एवं ना कि डीटीए में एक इकाई से की गई खरीद पर 22 ईओयूज़ के (47 मामलों) का ₹ 2.38 करोड़ की राशि के सीएसटी की प्रतिपूर्ति की गई थी।लेखापरीक्षा

में यह भी देखा गया कि सभी दावों में सनदी लेखाकार का निर्धारित प्रमाणपत्र इस बात के लिए प्राप्त किया गया कि उपरोक्त इकाई द्वारा मूल बीजक बिलों के प्रति प्राप्त किए गए माल के संबंध में डीटीए आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया गया था तथा भुगतान साधारण बैंकिंग चैनल के द्वारा किए गए थे एवं डीटीए आपूर्तिकर्ताओं, के खातों में डलवाए गए थे। तथ्यात्मक रूप से गलत प्रमाण पत्रों की स्वीकृति डीसीज़ द्वारा निगरानी में अपर्याप्तता को उद्घाटित करता है।

2.27 इसी प्रकार, सात मामलों में, तीन दावेदारों द्वारा प्रस्तुत किए गए सीएसटी दावे, एसईईपीजेड़, मुम्बई ने, दावों के साथ प्रस्तुत सीए के गलत प्रमाणपत्र के प्रति ₹ 3.18 करोड़ के सीएसटी की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी। चार मामलों में सीए ने प्रमाणित किया था कि "तालिका में दर्शाये गये सभी मद ईओयू योजना के प्रावधान के अंतर्गत सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकार्य 'नहीं' हैं" और शेष तीन दावों में सीए ने यह प्रमाणित नहीं किया था कि "तालिका में दर्शाये गये सभी मद ईओयू योजना के प्रावधान के अन्तर्गत सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकार्य हैं" ।

सीए के उचित प्रमाणपत्र के बिना सीएसटी की प्रतिपूर्ति

2.28 एचबीपी के परिशिष्ट 14-1-1 के पैराग्राफ (v) के उप-पैराग्राफ (ए) के अन्तर्गत सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दावे के साथ संलग्न सनदी लेखाकार के प्रमाण पत्र को अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करना चाहिएः

क. जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, पूर्वोत्तर की एएनआई और लक्षद्वीप राज्यों में, सीए फर्म कम से कम एकल स्वामित्व वाली फर्म जो एक एफसीए हो, होनी चाहिए और फर्म के साथ पूर्ण रूप से जुड़ी हो और सांझेदार सीए फर्म के लिए फर्म के पास कम से कम दो फुल टाइम पार्टनर हों, जिनमें से एक एफसीए होना चाहिए।

ख. दूसरे क्षेत्रों में स्थित ईकाईयों के मामलें में सांझेदार सीए फर्म के पास एक फुल टाईम पार्टनर होना चाहिए, जो कि एफसीए हो।

2.29 डीसी-एफएसईजेड में सीएसटी दावों के साथ प्रस्तुत सीए के प्रमाण-पत्र के 54 मामले में उपरोक्त उल्लेखित (ए) क्षेत्रों के अलावा संबंधित क्षेत्रों के मामले में यह देखा गया कि ₹ 3.79 करोड़ के प्रमाण पत्रों की सीएसटी सम्मिलित सीएसटी प्रतिपूर्ति राशि या तो स्वामित्व फर्म या सहायक सनदी लेखाकार द्वारा जारी किए गए थे।यद्यपि फरवरी 2010 में डीजीएफटी द्वारा भारत के सनदी लेखाकार संस्थान आईसीएआई की वेबसाइट से प्रमाणित सीए फार्मों की स्थिति की पुष्टि के लिए अनुदेश जारी किए गए थे दो मामलों में प्रमाणित करने वाली सीए फॉर्मे आईसीएई के साथ पंजीकृत थी। अन्य तीन मामलों में, एसटीपीआई कोलकाता ने उपरोक्त वर्णित "ए" क्षेत्रों के अलावा संबंधित क्षेत्रों से 2.28 लाख राशि की सीएसटी की प्रतिपूतर्ति की। दावों के साथ संलग्न सीए प्रमाण पत्र स्वामित्व फर्मों से जारी किए गए थे। डीईआईटीवाई ने लेखापरीक्षा निष्कर्ष स्वीकार किए।

सी फार्म को अस्वीकृत किए बिना सीएसटी प्रतिपूर्ति दिया जाना

2.30 एचबीपी के परिशिष्ट 14-1-1 के पैराग्राफ (v)(बी) के अनुसार, सीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए यूनिट द्वारा दावा में आपूर्तिकर्ता को ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी द्वारा जारी किए गए फॉर्म सी की फोटो प्रति के साथ प्रस्तुत किया जाना है। सी फॉर्म काउंटर फाइल "रद्द केवल सीएसटी की प्रतिपूर्ति हेतु" जैसे उपर्युक्त पृष्ठाकन करने के बाद इकाई को वापिस किए जाएगें। मदें जिनके लिए प्रतिपूर्ति की गई, रद्द के रूप में अंकित की जानी चाहिए और फोटो प्रति संबंधित फाईल में रखने के लिए कार्यालय द्वारा रखी जानी चाहिए । फॉर्म सी की दोबारा प्रयोग किए जाने की स्थिति में सत्यापन स्वयं सत्यापित फोटो प्रतियों से संवीक्षा के समय किया जा सकता है। जिस पर मूल रूप प्रस्तुत किया गया है फर्म को उस फाईल की संख्या अवश्य दिखानी चाहिए।

क. डीसी, एसईईपीजेड, मुम्बई के छः मामलों में ₹ 9.75 करोड़ की सीएसटी प्रतिपूर्ति सी फार्म के काउंटर फाईल रद्दीकरण/ पृष्ठांकन के बिना की गई थी। इसी प्रकार डीसी, एफएसईजेड ने 70 मामलों में ₹ 3.12 करोड़ की सीएसटी की प्रतिपूर्ति "सी" फॉर्मों की प्रति रद्द/ पृष्ठांकित नहीं किए बिना की गई ।

ख. डीसी-वीएसईजेड ने 10 मामलों में `₹1.04 करोड़ की प्रतिपूर्ति "सी" फार्म की प्रति रद्द अथवा पृष्ठाकिंत किए बिना की। विभाग ने निष्कर्ष को स्वीकार किया तथा भविष्य में अनुपालना हेतु नोट किया।

ग. डीसी, एफएसईजेड के कार्यालय में ₹ 21.69 लाख की सीएसटी प्रतिपूर्ति राशि के अन्य 15 मामलों में, न तो सी फॉर्म की मूल प्रति की फोटो कॉपी और न ही रद्द फॉर्म "सी" की काउंटर की रद्द प्रति, सीएसटी काउंटर फाईल में उपलब्ध थी, यह ऊपर चर्चा किए गए प्रावधानों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों उसी सी-फार्म के प्रति सीएसटी प्रतिपूर्ति की दोहरी मंजूरी की संभावना थी।

2.31 डीजीएफटी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2013) कि सीएसटी प्रतिपूर्ति हेतु भारत में निर्माण की शर्ते आवश्यक नहीं है क्योंकि सीएसटी प्रतिपूर्ति मान्य निर्यात श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आती हैं। ईओयूएस/एसटीपी/ ईएचटीपीएम/बीटीपीएस हेतु एक विशेष व्यस्था प्रदान की जाती है। यदि ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी/बीटीपीएस द्वारा खरीदा गया माल एक राज्य से दूसरे राज्य में पास हो जाता है और माल की अन्तर्राज्यीय आपूर्ति हेतु ऐसे सीएसटी व्यय किये जाते है तो सीएसटी प्रतिपूर्ति करनी पड़ती है। डीओसी ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2013) कि सीएसटी वापसी केवल तभी प्रदान की जाती है यदि यह वास्तविक में अदा की जाती है।

2.32 डीएफजीटी तथा डीओसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि पैरा 6.11 (सी) (i) अनुबंधित करता है कि ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी ईकाइयाँ भारत में निर्मित वस्तुओं पर सीएसटी की प्रतिपूर्ति की हकदार हैं।

सिफारिश 4 : परिशिष्ट 14-1-1 में अभ्यर्थियों द्वारा एक विशिष्ट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त प्रावधान सम्मिलित किया जाए कि प्राप्त माल वास्तव में भारत में निर्मित हुआ था और किसी ईओयू या एसईजेड इकाई से आयातित/स्त्रोत से नहीं लिया गया था।

खराब परिचालन के अन्य मामले

2.33 एसईजेड गांधीधाम, कोचीन विशाखापटनम, कोलकाता, बैंगलूरू और एसटीपीआई गांधीनगर और कोलकता में ₹ 6.56 करोड़ की सीमा तक की सीएसटी की अनियमित प्रतिपूर्ति के 198 मामले ध्यान में लाए गये थे जैसा कि नीचे सारणीबद्ध किया गया है। डीईआईटीवाई ने अपने उत्तर में बताया (फरवरी 2013) कि एसटीपीआई ने अनियमिताओं की जाँच करने के लिए एक आन्तरिक नियंत्रण यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

सारणी 6 खराब परिचालन के अन्य मामले

एसईजेड/एसटीपीआई	विवरण	मामलें	राशि लाख ₹	विभागीय उत्तर
एसईजेड, कोचीन	सीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र में माल निर्दिष्ट नहीं किया गया	45	74.08	उत्तर अपेक्षित है
एसईजेड कोचीन	नियत अवधि के बाद प्राप्त दावे	2	25.29	उत्तर अपेक्षित है
एसईजेड कोचीन	पूरी/ वास्तविक अदायगी से पूर्व सीएसटी प्रतिपूर्ति	46	34.73	उत्तर अपेक्षित है
एसईजेड कोचीन	सामान्य बैंकिग चैनल के माध्यम से की गई नॉन रूटिंग अदायगी	5	3.74	उत्तर अपेक्षित है
एसईजेड कोचीन	पूरक दावे निर्धारित फॉर्म में नहीं थे।	12	34.52	उत्तर अपेक्षित है
एसईजेड गांधीधाम	सीएसटी प्रतिपूर्ति की गई अदायगी की बजाए आपूर्ति के आधार पर की गई	5	62.63	स्वीकृत नहीं है
एसईजेड गांधीधाम	अयोग्य माल पर सीएसटी की प्रतिपूर्ति	1	92.29	स्वीकृत
एसईजेड विशाखापट्टनम	पूरी/वास्तविक अदायगी से पहले की गई सीएसटी प्रतिपूर्ति	24	229.30	उत्तर अपेक्षित है
एसईजेड विशाखापट्टनम	अन्तर्राज्यीय बिक्री पर सीएसटी	8	6.57	उत्तर अपेक्षित है
एसईजेड विशाखापट्टनम	सीएसटी प्रतिपूर्ति से पट्टा किराया राशि की वसूली न होना।	1	4.50	उत्तर अपेक्षित है
एसईजेड फाल्टा	भिन्न-भिन्न अवधियों से संबंधित सीएसटी दावे की प्रतिपूर्ति	22	4.82	उत्तर अपेक्षित है
एसईजेड, फाल्टा	माल का बिक्री कर पंजीकरण में शामिल न होना	17	7.87	उत्तर अपेक्षित है
एसईजेड, फाल्टा	माल का "सी" फॉर्म में उल्लेखित न होना	1	21.00	उत्तर अपेक्षित है
डीसी बैंगलूरू	सी फॉर्म प्रस्तुत नहीं किया गया	1	50.09	उत्तर अपेक्षित है
एसटीपीआई गांधीनगर	"सी" फार्म प्रस्तुत नहीं किया गया	3	0.49	उत्तर अपेक्षित है
एसटीपीआई कोलकाता	माल का सीएसटी पंजीकरण प्रमाण में निर्दिष्ट नहीं होना	5	3.84	उत्तर अपेक्षित है
कुल		198	655.76	

सीएसटी योजना की प्रतिपूर्ति के कार्यान्वयन से पूर्व कोई राजस्व आकलन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। योजना के आंकलन के परिणाम उपलब्ध नहीं थे।

योजना विकास एवं निगरानी

2.34 एफटीपी के पैराग्राफ 6.20 के अनुसार , ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी इकाईयों के निष्पादन की एचबीपी खण्ड-I के परिशिष्ट 14- I -जी में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार इकाई अनुमोदन समिति द्वारा निगरानी की जाएगी। डीईआईटीवाई के आरएफडी दस्तावेज में लक्ष्य स्पष्ट नहीं था तथा इसकी सफलता के संकेतक एसटीपीआई की स्थापना के मूल उद्देश्य तथा एसटीपी/ ईएचटीपी योजना की निष्पादन समीक्षा हेतु किए गए थे। विशिष्ट क्रियाओं के परिणाम/प्रभाव रेखांकित नहीं किए गए। यह बताने के लिए कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं था कि योजना ने अपने कार्यान्वयन से पूर्व अपने राजस्व प्रभाव आकलन किया था। उसी प्रकार, योजना के परिणाम का आकलन एवं रिपोर्ट नहीं की गई थी।

2.35 हमारी सभी टिप्पणियों को स्वीकार ने के दौरान डीईआईटीवाई ने बताया (फरवरी 2013) कि आरएफडी लक्ष्यों में विभिन्न प्रदेय हेतु आरएफडी लक्ष्य निर्धारित है और उसी प्रकार से समीक्षा की गई। हालांकि, इस निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष इशारा करते हैं कि योजना की प्रभावकारिता और प्रभावशीलता की निगरानी करने के लिए विभाग द्वारा समीक्षा नहीं की गई थी तथा योजना में त्रुटियां है। इसका कार्यान्वयन सुस्त है और आन्तरिक नियंत्रण तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा पद्धति ढीली हैं।

सिफारिशः 5 डीईआईटीवाई को योजना के कार्यान्वयन, आयात प्रतिस्थापन, करों के निष्प्रभावन पद्धतियाँ तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली और लाभार्थियों आदि को प्राप्त वित्तीय लाभों इत्यादि से पहले किए गए अपने निष्पादन की रणनीति अथवा राजस्व प्रभाव के निर्धारण के संबंध में योजना के प्रभाव के परिणाम को आंकलन करने की आवश्यकता है।

नई दिल्ली **(नीलोत्पल गोस्वामी)**
दिनांक **प्रधान निदेशक (सीमा)**

प्रतिहस्ताक्षर

नई दिल्ली **(विनोद राय)**
दिनांक **भारत के नियंत्रक एंव महालेखापरीक्षक**